

न्यायालय—सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क्र.—681/2012
 संस्थित दिनांक—28.08.2012
 फाईलिंग नं.—234503001992012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

1. ब्रजलाल, पिता रतनसिंह परते, उम्र 50 साल, जाति परधान,
 निवासी ग्राम छोटी सुरवाही थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
2. महेश, पिता ब्रजलाल परते, उम्र 21 साल, जाति परधान,
 निवासी ग्राम छोटी सुरवाही थाना बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपीगण**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक—19/12/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324/34, 325/34, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—18.03.2012 को रात्रि के करीब 8.00 बजे, स्थान ग्राम छोटी सुरवाही प्रार्थी वासुदेव के घर का आंगन थाना बिरसा के अन्तर्गत लोकस्थान पर प्रार्थी वासुदेव को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा आहत वासुदेव को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत वासुदेव को धारदार हथियार लोहे के फावड़ा से मारपीट कर उसके उपर के दो दांत तथा नीचे का एक दांत तोड़कर स्वेच्छया सामान्य एवं घोर उपहति कारित की व फरियादी वासुदेव को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी वासुदेव परधान ने दिनांक—18.03.2012 को आरक्षी केन्द्र बिरसा में मौखिक रूप से इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम छोटी सुरवाही में रहता है एवं

झायवरी का काम करता है। दिनांक-18.03.2012 को रात्रि के करीब 8.00 बजे वह अपने घर के सामने रोड पर था कि उसी समय ब्रजलाल परधान एवं उसका लड़का महेश आये और उसे बोले कि तू-मादरचोद बहुत दादा बनता है तुझे बताते हैं कहकर महेश ने उसे पकड़ लिया और ब्रजलाल ने फावड़ा उठाकर उसके मुंह में मारा जिससे उपर-नीचे का होंठ कट गया एवं उपर के दो दांत व नीचे का एक दांत टूट गया तथा बांये हाथ, कंधे में भी मारा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। ब्रजलाल और महेश उससे बोल रहे थे कि मादरचोद साले को आज खत्म कर देंगे। उसे कलाबाई, ईमलाबाई ने बीच बचाव किये इसके बाद उसकी पत्नी लताबाई भी आ गई और लताबाई उसे उठाकर घर ले गई। ब्रजलाल और महेश उसे अश्लील गालियां भी दे रहे थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55/12, धारा 294, 323, 324, 325, 506, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त सामग्री जप्त की गई। पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 324/34, 325/34 506(भाग-2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत वासुदेव परधान ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिस कारण आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 325/34 506(भाग-2) के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा शेष अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-18.03.2012 को रात्रि के करीब 8.00 बजे, स्थान ग्राम छोटी सुरवाही प्रार्थी वासुदेव के घर का आंगन थाना बिरसा के अन्तर्गत सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में

आहत वासुदेव को धारदार हथियार लोहे के फावड़ा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत वासुदेव (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को पहचानता है। घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व शाम के लगभग सात बजे उसके घर के सामने रोड की है। घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देते हुये जमीन पर गिरा दिया था, जिससे उसके उपर के दो दांत और नीचे के दो दांत टूट गये थे जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 उसकी निशादेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी महेश ने उसे पकड़ लिया था और आरोपी ब्रजलाल ने उसके फावड़े से मुंह, होंठ में मारा था जिससे उसके दांत टूट गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 में आरोपीगण के द्वारा फावड़े से मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जमीन पर गिरने से उसे दांत और होंठ में चोट आई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने स्वयं आहत होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

6— साक्षी लताबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानती है तथा आहत वासुदेव उसका पति है। घटना उसके कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व शाम के लगभग सात बजे उसके घर के सामने रोड की हैं। घटना दिनांक को उसका पति वासुदेव जमीन पर गिर गया था जिस कारण उसके पति के दांत टूट गये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपीगण ने उसके पति वासुदेव को मुंह में फावड़े से मारा था एवं फावड़े से मारने के कारण ही उसके पति वासुदेव के दांत टूट गये थे और होंठ पर भी चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि

उसने प्रदर्श पी-4 में आरोपीगण के द्वारा फावड़े से मारने वाली बात बतायी थी। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पति वासुदेव को जमीन पर गिरने से दांत और होंठ में चोट आई थी। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुये भी अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर.एस. सिंगरौरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि उसने दिनांक-18.03.2012 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये प्रार्थी वासुदेव पिता रतनसिंह की मौखिक सूचना पर आरोपी ब्रजलाल एवं महेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक-55/12, धारा-294, 323, 324, 325, 506 बी, 34 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को ही प्रार्थी वासुदेव एवं साक्षी लताबाई, कलाबाई, ईमलाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने दिनांक-19.03.2012 को मौके पर जाकर प्रार्थी वासुदेव की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने दिनांक-24.03.2012 को गवाहों के समक्ष आरोपी ब्रजलाल से एक फावड़ा बांस का बेसा लगा हुआ जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी ब्रजलाल एवं महेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 एवं 7 गवाहों के समक्ष तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अपनी अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

8— प्रकरण में अभियोजन ने फरियादी/आहत वासुदेव (अ.सा.1) की साक्ष्य करायी गई है इसके अलावा अभियोजन की ओर से लताबाई (अ.सा.2) को चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया है, किन्तु उक्त साक्षीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपीगण ने तथाकथित रूप से लोहे के फावड़ा को खतरनाक साधन या धारदार वस्तु के रूप में उपयोग कर कथित मारपीट की थी जिस कारण आहत को उपहति कारित हुई। ऐसी दशा में मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी की समर्थनकारी साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध कथित लोहे के फावड़े या अन्य खतरनाक साधन के रूप में उपयोग कर आहत वासुदेव को स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य संदेह से परे

प्रमाणित नहीं होता है।

9— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में सामान्य आशय निर्मित कर, उस सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत वासुदेव को धारदार हथियार लोहे के फावड़ा से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे का फावड़ा बांस का बेसा लगा हुआ मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट